"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2003—आश्विन 30, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-51/2002/वा. क. (पं.)/पांच (103).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो कि उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में :-

1. नियम 19 में खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए :-

(त) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) के उपबंधों के अधीन नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि/भवन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के साथ संबंधित विभाग द्वारा जारी, भूमि/भवन की पहचान के लिये खसरा/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है.

2. नियम 35 खण्ड (ङ-6) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए :-

(ङ-7) यह कि नियम 19 के खण्ड (त) के अधीन खसरा/प्रमाण-पत्र के साथ पेश करने हेतु वापस किया गया दस्तावेज उसके बिना पुनः पेश किया गया है.

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-10-51/2002/वा. क. (पं.)/पांच (103).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-51/2002/वा. क. (पं.)/पांच (103) दिनांक 22 अक्टूबर, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd October 2003

NOTIFICATION

No. F-10-51/2002/CT (R)/V (103).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 69 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Registration Rules, 1939 as the same have been approved by the State Government under section (2) of the said section, namely :-

AMENDMENT

In the said sub rule :-

1. In rule 19, after clause (O), following clause shall be inserted :-

(p) A document for land/building situated in urban area required to be registered under the provision of clause (a) to (e) of sub section (1) of section 17 of Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) is not submitted along with a khasara/certificate issued by the concerning department regarding the identification of land/building.

2. In rule 35, after clause (e-6), the following clause shall be inserted :-

(e-7) That the document returned under clause (p) of rule 19 for presentation of khasara/certificate is again presented without the same.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.